**अनुबंध III**

**प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैकों को अधिमानी शेयर जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश**

**(पैरा सं. 4.1(iv) और 4.2.5(i))**

## अ. बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)

शहरी सहकारी बैंक संबंधित सहकारी समितियों के निबंधक/ केंद्रीय निबंधक द्वारा (आरसीएस/ सीआरसीएस) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के आधार पर दी गयी पूर्वानुमति से बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर जारी कर सकते हैं। पी ए न सी पी एस के माध्यम से प्राप्त राशि जो निम्नलिखित नियम और शर्तो का पालन करती है, टियर I पूंजी के रूप मे हिसाब मे ली जाएगी।

## 2. जारी करने की शर्ते

### 2.1 सीमा

पी एन सी पी एस की बकाया राशि टियर I पूंजी मे शामिल करने के लिए पात्र है तथा कुल टियर I पूंजी से पी एन सी पी एस को छोडकर किसी भी समय 20% से अधिक नही होनी चाहिए उपर्युक्त सीमा टियर I पूंजी से साख (गुडविल) और अन्य अर्मूत आस्तियों को घटाकर तय की जाएगी।

### 2.2 राशि

पीएनसीपीएस के माध्यम से कितनी राशि जमा की जाएगी यह बैंक का निदेशक मंडल तय करेगा।

### 2.3 परिपक्वता

पीएनसीपीएस बेमियादी होना चाहिए।

### 2.4 विकल्प

(i) पीएनसीपीएस `पुट ऑप्शन ' या `स्टेप अप ऑप्शन ' के साथ जारी नही किया जाना चाहिए।

(ii) यद्यपि बैंक पी एन सी पी एस विशेष तिथि के साथ कॉल ऑप्शन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी कर सकता है:

(क) लिखत कम से कम 10 साल चलाने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है तथा

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी बैंक विभाग) की पूर्वानुमति से ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातें के साथ साथ कॉल ऑप्शन प्रयोग करने का समय तथा कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद के बैंक की सीआरएआर की स्थिति पर विचार करें।

### 2.5 तुलन पत्र मे वर्गीकरण

लिखतों को 'पूंजी' के रूप मे वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दिखाया जाएगा।

**2.6 लाभांश**

निवेशकों को देय लाभांश दर बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ मे स्थायी या अस्थायी दर होगा।

**2.7 लाभांश का भुगतान**

(ए) जारीकर्ता बैंक लाभांश का भुगतान करें बशर्ते चालू वर्ष की आमदनी से अधिशेष राशि उपलब्ध हो

(i) बैंक का सीआरए आर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक होना चाहिए।

(ii) इस प्रकार के भुगतान के परिणाम स्वरूप से बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे नहीं होना चाहिए या नीचे नहीं गिरना चाहिए।

(iii) लाभांश का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करे कि चालू वर्ष के तुलन पत्र में कोई संचित हानि नहीं होनी चाहिए।

(बी) लाभाश संचयी नहीं होना चाहिए अर्थात पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सीआरए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर भी वर्ष में न दिया गया लाभांश आगामी वर्षों मे नही दिया जाएगा।

(सी) उपर्युक्त "क" मे दी गयी शर्तो के कारण लाभांश न दिए जाने की जानकारी जारी कर्ता बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई को सूचित करें।

**2.8 दावे की वरीयता**

पीएनसीपीएस के निवेशकों के दावे इक्विटी शेयर निवेशकें के दावों से वरिष्ठ होने चाहिए तथा अन्य ऋणदाता और जमाकर्ता के दावें से गौण होने चाहिए।

**2.9 मतदान का अधिकार**

पीएनसीपीएस के निवेशकें को मतदान का अधिभार नहीं रहेगा।

**2.10 अन्य शर्तें**

(ए) पीएनसीपीएस पूर्ण भुगतान किए, गैर-जमानती तथा किसी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होने चाहिए।

(बी) पीएनसीपीएस की श्रेणी जारीकर्ता के विवेक पर होगी।

(सी) पीएनसीपीएस जारी करने के लिए यदि अन्य नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई नियम और शर्ते हो तो बैंक को उसका अनुपालन करना होगा बशर्ते इन दिशानिर्देशों मे दिए गए नियम और शर्तो का उल्लंघन न होता हो। टियर I पूंजी में लिखत को शामिल करने हेतु पुष्टि प्राप्त करने की घटना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाए।

**3. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन**

(ए) इश्यू के लिए जमा की गयी तथा बैंक द्वारा टियर I अधिमानी शेयरों के अंतिम आबंटन के लिए रखी गयी राशि आरक्षित निधि आवश्यकताओं की गणना करते समय हिसाब मे ली जाएगी।

(बी) यद्यपि पी एन पी एस जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं हेतु निवल मांग और समय देयताओं की गणना करते समय देयता के रूप मे नही गिनी जाएगी, अत: सीआरआर/ एसएलआर के लिए भी नही गिनी जाएगी।

**4. रेपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं**

पीएनसीपीएल जारी करनेवाले बैंक को इश्यू पूर्ण होने पर जमा की गयी पूंजी के ब्यौरे ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार इश्यू के नियम और शर्ते, दर्शानेवाली रिपोर्ट, प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति सहित प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मंबई को प्रस्तुत करनी चाहिए।

**5. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर मे वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश**

(ए) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी पी एन सी पी एस में वाणिज्यिक बैंक गैर सूचीबद्ध प्रतिभूति के लिए 10% की सीमा के अधीन या बैंकिग परिचालन विकास विभाग (डीबीओडी) केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निवेश कर सकते है बशर्ते उनकी रेटिंग की गई हो।

(बी) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी पी एन सी पी एल में निवेश पूंजी पर्याप्तता हेतु जोखिम भारित होगा जैसा कि बैंकिंग परिचालन विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया है।

**6. टियर I अधिमानी शेयर के बदले निवेश/ अग्रिम प्रदान करना**

शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों के पी एन सी पी एस में निवेश नही करना चाहिए, तथा उनके द्वारा या अन्य बैंकों द्वारा जारी पी एन सी पी एस की जमानत पर अग्रिम नहीं देना चाहिए।

**शेअर लिंकेज मानदंड**

7. विद्यमान शेअर लिंकिंग मानदंडों के अनुपालन हेतु धारित पीएनसीपी को शेयर समझे।

**आ. बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)**

**1. जारी करने की शर्तें**

शहरी सहकारी बैंक बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेश संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) सहकारी समितियों के संबंधित निबंधक/ केंद्रीय निबंधक की पूर्वानुमति जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार विमर्श से दी गयी है। यह तीन लिखत एकत्रित रूप से टियर II अधिमानी शेयर के रूप मे जाने जाएंगे। टियर II अधिमानी शेयर सममूल्य पर जारी किए जाएंगे। टियर II शेयर के माध्यम से एकत्रित राशि जो निम्नलिखित नियम बशर्ते पूर्ण करती हो, उच्च टियर II पूंजी मे गिनने के लिए पात्र होगी।

**2.1 लिखत के लक्षण**

टियर II अधिमानी शेयर बेमियादी (पीसीपीएस)या 15 वर्ष की परिपक्वता के साथ दिनांकित लिखत (आरएनसीपीएस तथा आरसीपीएस) होने चाहिए।

**2.2 सीमा**

इन लिखतों की बकाया राशि टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ किसी भी समय टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त सीमा टियर I पूंजी से साख (गुडविल) और अन्य आस्ति को घटाने के बाद परंतु निवेश की राशि घटाने से पहले की राशि पर आधारित होगी।

**2.3 राशि**

जुटाई जानेवाली राशि के संबंध में निदेशक मंडल निर्णय करेगा।

**2.4 विकल्प**

**(i)** लिखत "पुट ऑप्शन "के साथ जारी नहीं किए जाएंगे।

**(ii)** यद्यपि बैंक विशेष तिथि के साथ कॉल ऑप्शन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन लिखत जारी कर सकता है।

(ए) लिखत कम से कम 10 साल चलाने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है तथा

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी बैंक विभाग) की पूर्वानुमति से ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ साथ कॉल ऑप्शन प्रयोग करने के समय पर तथा कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद के बैंक की सी आर ए आर की स्थिति पर विचार करें।

**2.5 स्टेप-अप विकल्प**

जारीकर्ता बैंक स्टेप-अप विकल्प का प्रयोग लिखत की पूर्ण अवधि में केवल एक बार कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी करने के 10 वर्ष बाद कर सकता है। स्टेप-अप 100 बीपीएस से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टेप-अप की सीमा जारीकर्ता बैंक को ऋण की सकल सीमा पर भी लागू है।

**2.6 तुलन पत्र मे वर्गीकरण**

लिखतों को उधार के रूप मे वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दिखाया जाएगा।

**2.7 कूपन**

निवेशकों को देय कूपन बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ मे स्थायी या अस्थायी दर होगा।

**2.8 कूपन का भुगतान**

2.8.1 कूपन का भुगतान केवल निम्नलिखित परिस्थिति में ही किया जाएगा।

(ए) बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक होना चाहिए।

(बी) इस प्रकार के भुगतान के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से बैंक का सीआरएआर नीचे नहीं गिरना चाहिए।

(सी) कूपन का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करे कि चालू वर्ष के तुलन पत्र में कोई संचित हानि नहीं है।

(डी) बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर/ प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर के मामले में भुगतान न किया गया कूपन देयता समझा जाएगा। बैंक को, उपर्युक्त शर्तों का पालन करने के अधीन न दिया गया ब्याज तथा शेष भुगतान आगामी वर्षों में करने की अनुमति है।

(इ) पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सी आर ए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर भी आरएनसीपीएस के मामले में न दिया गया कूपन आगामी वर्षों में नहीं दिया जाएगा।

2.8.2 ब्याज न दिए जाने की जानकारी जारी कर्ता बैंक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई को सूचित करें।

**2.9 उच्च टियर II में शामिल प्रतिदेय अधिमानी शेयर का प्रतिदान/ भुगतान**

परिपक्वता पर इन लिखतों का प्रतिदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी बैंक विभाग) की पूर्वानुमति से ही होना चाहिए:

(ए) बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक होना चाहिए।

(बी) इस प्रकार के भुगतान के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से बैंक का सी आर ए आर नीचे नहीं गिरना चाहिए।

**2.10 दावे की वरियता**

इस लिखत के निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल किए जानेवाले लिखतों में निवेशकों के दावे से वरिष्ट होने चाहिए तथा निम्न टियर II के ऋणदाता सहित अन्य ऋण दाता और जमाकर्ता के दावो से गौण होने चाहिए। उच्च टियर II में शामिल विविध लिखतों के निवेशकों के बीच दावों की वरियता एकसमान होनी चाहिए।

**2.11 मतदान का अधिकार**

टियर II अधिमानी शेयर के निवेशको को किसी भी मतदान का अधिकार नही रहेगा।

**2.12 सीआरएआर की गणना के लिए परिशोधन**

प्रतिदेय अधिमानी शेयरों ( संचयी और गैर-संचयी दोनों) की परिपक्वता अवधि के अंतिम पांच सालों में नीचे की सारणी में दिए गए अनुसार टियर II पूंजी में शामिल होने की पात्रता के लिए जैसे जैसे उनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होती है,पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से उनपर क्रमिक रूप से बट्टा लगाया जाएगा।

| **लिखत की शेष परिपक्वता अवधि** | **बट्टे का दर (%)** |
|---|---|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष और अधिक परंतु दो वर्षो से कम | 80 |
| दो वर्ष और अधिक परंतु तीन वर्षो से कम | 60 |
| तीन वर्ष और अधिक परंतु चार वर्षो से कम | 40 |
| चार वर्ष और अधिक परंतु पांच वर्षो से कम | 20 |

**2.13 अन्य शर्तें**

(ए) टियर II अधिमानी शेयर पूर्ण भुगतान किए, गैर जमानती तथा किसी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होने चाहिए।

(बी) टियर II अधिमानी शेयरों की श्रेणी जारी कर्ता के विवेक पर होगी।

(सी) टियर II अधिमानी शेयर जारी करने के लिए यदि अन्य नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई नियम और शर्ते हो तो बैंक को उसका अनुपालन करना होगा बशर्ते इन दिशानिर्देशों मे दिए गए नियम और शर्तो का उल्लंघन न होता हो। टियर II पूंजी मे

लिखत को शामिल करने हेतु की पुष्टि प्राप्त करने के लिए की घटना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान मे लाए।

**3. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन**

(ए) इश्यू के लिए जमा की गयी तथा बैंक द्वारा टियर I अधिमानी शेयर के अंतिम आबंटन के लिए रखा गयी निधि आरक्षित अपेक्षओं की गणना करते समय हिसाब मे ली जाएगी।

(बी) यद्यपि पी एन पी एस जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि आरक्षिति आवश्यकताओं हेतु निवल मांग और समय देयताओं की गणना करते समय देयता के रूप मे नही गिनी जाएगी, अत: सी आर आर / एस एल आर के लिए भी नही गिनी जाएगी।

**4. रेपोर्टिग अपेक्षाएं**

लिखित जारी करनेवाले शहरी सहकारी बैंक को इश्यू पूर्ण होने पर जमा की गयी पूंजी के ब्यौरे उपर निर्धारित किए गए अनुसार इश्यू के नियम आर शर्ते, दर्शानेवाली रिपोर्ट, प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति सहित प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मंबई को प्रस्तुत करनी चाहिए।

**5. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी टियर II अधिमानी शेयरों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश**

(क) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी टियर II अधिमानी शेयरों मे वाणिज्यिक बैंक गैर सूचीबद्ध प्रतिभूति के लिए 10% की सीमा के अधीन या बैंकिग परिचालन विकास विभाग (डी बी ओ डी) केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए निवेश कर सकते है बशर्ते उनकी रेटिंग की गई हो।

(ख) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जारी टियर II अधिमानी शेयरों में निवेश पूंजी पर्याप्तता हेतु जोखिम भारित होगा जैसा कि बैंकिंग परिचालन विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया है।

**6. लिखतों के बदले में निवेश/ अग्रिम प्रदान करना**

शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों के टियर II अधिमानी शेयरों में निवेश नही करना चाहिए, तथा उनके द्वारा या अन्य बैंकों द्वारा जारी टियर II अधिमानी शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं देना चाहिए।

*****************